न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी (जिला कलक्टर), बालोतरा

सूचना का अधिकार अपील 15/2024, 17/2024, 18/2024

बनाम

अपीलांटः–

1 खेमसिंह जोधा निवासी ग्राम शिकारपुरा, तहसील लुणी, जिला जोधपुर

रेस्पोडेंट :–

1. अति. जिला कलक्टर, बालोतरा

आदेश

दिनांक 21.05.2024

अपीलार्थी श्री खेमतिसंह जोधा निवासी ग्राम शिकारपुरा, तहसील लुणी, जिला जोधपुर ने यह प्रथम अपील उतरदाता अतिरिक्त जिला कलक्टर, बालोतरा के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 30.04.2024 को प्रस्तुत की गई है। अपीलीर्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से संबंधित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, बालोतरा को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई।

रेस्पोडेंट द्वारा सुनवाई तिथि को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को वांछित सूचना बिन्दु संख्या 1 राजस्थान सरकार के राजस्व ग्रुप–1 विभाग की वेबसाईट पर दिनांक 05.08.2023 पर उपलब्ध है, अपीलांट उक्त वेबसाईट से प्राप्त करे एवं बिंदु संख्या 2 में चाही गई सूचना के संबंध में इस कार्यालय से इस विषय में कोई आदेश नहीं हुए है, इसलिए उक्त सूचना उपलब्ध करवाई जाना संभव नहीं है। अपीलार्थी की उक्त अपील अस्वीकार कर प्रकरण खारिज की जाए। लिहाजा अपील दाखिल दफ्तर फरमाई जावे।

हमने प्रस्तुत अपील एवं रेस्पोडेंट की ओर से जवाब का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 1 की सूचना राजस्थान सरकार के राजस्व ग्रुप–1 विभाग की वेबसाईट पर दिनांक 05.08.2023 पर उपलब्ध है, एवं बिन्दु संख्या 2 की सूचना के संबंध में कोई आदेश नहीं हुए है, इसलिए उक्त सूचना दिया जाना संभव नहीं है। लिहाजा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के अवलोकन एवं विवेचन उपरान्त अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 21.05.2024 को न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार यादव)
प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बालोतरा